राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन 2015–16 जयपुर, दिनांक 27 मार्च, 2018

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांतो का स्पष्टीकरण।

प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27 (263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन 2015–16 दिनांक 13.08.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 की पालना में महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित सभी विभागीय योजनाओं के लिये वित (जी एण्ड टी) विभाग से प्राप्त सहमति अनुसार उपापन हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों मे निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

"वित्त विभाग (जी एण्ड टी) की अधिसूचना दिनांक 14.07.2016 की पालना मे निर्धारित सीमा राशि 5.00 लाख रूपये में कोई पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित बोली की पद्धति से एक बार में 5 लाख रूपये की लागत की विषयवस्तु का उपापन कर सकेगी। किन्तु किसी वित्तीय वर्ष में उपापन की जाने वाली इस स्वीकृत पद्धति के अंतर्गत कुल उपापन की विषयवस्तु की लागत 50 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी। यदि श्रम मस्टरोल पर नियमानुसार नियोजित किया जाता है तो वह उपापन सीमा से पृथक माना जा सकेगा।"

प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी। वित्त विभाग की आईडी संख्या 101801462 दिनांक 26.03.2018 के अनुसरण में जारी उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(सुदर्शन सेठी) 27.3.2018
अति0 मुख्य सचिव

D:\kamal\1 letter 2018.docx

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ट शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त, आयोजना, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग/ग्रावि एवं पंरावि/सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
3. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
5. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
9. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता, ग्रावि एवं पंरावि/ईजीएस/जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
12. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभियांत्रिकी/जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग, जि. प. समस्त राजस्थान।
14. विकास अधिकारी, पं. स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक एवं प्रत्येक सहायक/कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावे।
15. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि.

D:\kamal\1 letter 2018.docx